

प्रेषक,

चन्द्र कान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
(प्रशासन एवं विकास)
पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-27 जनवरी, 2016

विषय:- कामधेनु डेयरी इकाईयों की स्थापना हेतु बैंक ऋण पर 05 वर्ष तक ब्याज की प्रतिपूर्ति की योजना।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-531/प0-2/36(27)/कामधेनु/जनरल/2015-16, दिनांक-21.12.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कामधेनु डेयरी इकाईयों की स्थापना हेतु बैंक ऋण पर 05 वर्ष तक ब्याज की प्रतिपूर्ति की योजना विषयक शासनादेश संख्या-58/2015/1985/सैंतीस-2-2015-1(67)/2012, दिनांक-17.08.2015 में आंशिक संशोधन किये जाने के संबंध में है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनांक-17.08.2015 के प्रस्तर-11 में ब्याज की प्रतिपूर्ति बैंक को किये जाने का उल्लेख किया गया है, के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत स्पष्ट की जाती है:-

"कामधेनु योजना में लाभार्थी द्वारा विभिन्न बैंकों से ऋण लिया जाता है। सभी बैंकों के ऋण पर ब्याज दर अलग-अलग होती है, इसलिए योजना में लाभार्थी द्वारा लिये गये ऋण की अदायगी हेतु किस्त में मूलधन एवं ब्याज दोनों सम्मिलित होंगे। ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु लाभार्थी द्वारा ब्याज के रूप में किये गये भुगतान की धनराशि अपने बैंक के शाखा प्रबन्धक से प्रमाणित कराकर सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी अधिकतम 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में करेंगे। यदि लाभार्थी द्वारा 12 प्रतिशत से कम दर पर बैंक से ऋण प्राप्त किया गया है तो उस स्थिति में वास्तविक भुगतान की गयी धनराशि की ही प्रतिपूर्ति की जायेगी।"

3- उक्त शासनादेश दि0-17.08.2015 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(चन्द्र कान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

प0सं0-6/2016/4172(1)/सैंतीस-2-2015- तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, 30प्र0 शासन, वित्त/नियोजन/कृषि एवं दुग्ध विकास विभाग।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
5. महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।